

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम),
मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर

No./Admin/LC/Trg/Swayam&iGOT/2025-26/

दिनांक: - 27.02.2026

कार्यालय आदेश- 237

मुख्यालय से प्राप्त पत्र क्र. ई सं 197/433/जा.क्ष.नि अनु./2025-26, दिनांक 06.02.2026 के अनुपालन में लेख है कि मुख्यालय द्वारा iGOT Portal पर "Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace" विषय का चयन प्रशिक्षण हेतु किया गया है।

कार्यालय के समस्त अधिकारियों (including IA&AS) व कर्मचारियों को iGOT पोर्टल पर उक्त पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से पूरा करना आवश्यक है। अतः समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.03.2026 तक उक्त course को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त समूह/अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि वे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संकलित करने के बाद प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र 31.03.2026 तक विधि कक्ष को भेजने की कृपया करें।

In compliance with the letter received from the Headquarters, No. ई सं 197/433/जा.क्ष.नि अनु./2025-26, दिनांक 06.02.2026, it is stated that the Course titled "Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace" has been selected for the training purpose by the Headquarters on the iGOT Portal. The course is available at https://portal.igotkarmayogi.gov.in/public/toc/do_113569878939262976132/overview

All officers and staff of the office are required to mandatorily complete the said course on the iGOT portal. Therefore, all officers and staff are instructed to ensure completion of the said course by 31.03.2026.

All Group Officers and Section Officers are requested to compile the certificates received from their subordinates upon completion of the course and forward the compiled certificates to the Legal Cell by 31.03.2026

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार
2. उप महालेखाकार/ एएमजी - 1, एएमजी - 2, एएमजी - 3, एएमजी - 4, एएमजी - 5 व प्रशासन
3. सचिव उप महालेखाकार/एएमजी - 1, एएमजी - 2, एएमजी - 3, एएमजी - 4, एएमजी - 5 व प्रशासन

4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशा. 11,12,13,14, सामान्य अनुभाग, रिपोर्ट -1, रिपोर्ट-2, रिपोर्ट पी ए सी, गोपनीय कक्ष, आई टी ए , फाप, फास -एम, कार्यपालन शाखा, हिंदी कक्ष, आई एस विंग,ए.पी. एवं एसएमयू
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing - कृपया उक्त कार्यलय आदेश को इंटरनेट एवं इंटरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. श्री उत्कर्ष यादव, स.ले.प.अ.- कृपया इंटरनेट व इंटरनेट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
7. सम्बंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ
8. सूचना पटल


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष